लोकमत मीडिया प्रा. लि.

व्हिसल ब्लोअर नीति

संस्थान में कार्य संस्कृति में सुधार लाने एवं इसमें पारदर्शिता बरतने के उद्देश्य से कंपनी की ओर से सदैव नए प्रयास किए गए हैं, जिससे कर्मचारियों और प्रबंधकों के बीच एक स्वस्थ संबंध स्थापित हो सके. इसी कड़ी में नया अध्याय जोड़ते हुए कंपनी ने एक 'व्हिसल ब्लोअर' नीति का निर्माण किया है. इस नीति को सुचारू रूप से चलाने के लिए कंपनी ने विशेष 'व्हिसल ब्लोअर लेखा परीक्षण समिति' का गठन किया है.

इस नीति के तहत हर कर्मचारी को यह अधिकार होगा कि वह अपने आसपास अथवा किसी विभाग में हो रही अनियमितताओं अथवा विभागीय गड़बड़ियों को उजागर कर सके. इसमें कर्मचारी के साथ जानबूझकर किया जा रहा अनुचित व्यवहार अथवा द्वेषपूर्ण कार्रवाई का भी खुलासा किया जा सकता है.

1. क्या है व्हिसल ब्लोअर?

व्हिसल ब्लोअर ऐसे कर्मचारी को कहा जाता है जो अपने संस्थान अथवा विभाग से जुड़ी ऐसी बातों का खुलासा करता है, जो संस्थान अथवा उसके कर्मचारियों के हित में नहीं है. इन जानकारियों में गुप्त रूप से की जा रही आर्थिक गड़बड़ियों, पक्षपातपूर्ण व्यवहार अथवा बदले की कार्यवाही जैसी गतिविधियां शामिल हैं.

2. व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा

इन नीति के तहत व्हिसल ब्लोअर को संपूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान है. जब व्हिसल ब्लोअर लिखित रूप से व्हिसल ब्लोअर लेखा परीक्षण समिति के समक्ष कोई खुलासा करता है तो उसे संबंधित अधिकारी अथवा विभाग की ओर की जाने वाली कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की जाती है. साथ ही यह भी ध्यान रखा जाता है कि व्हिसल ब्लोअर इस सुरक्षा का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न करे. व्हिसल ब्लोअर द्वारा दी गई जानकारी एवं उसकी पहचान पूर्ण रूप से गुप्त रखी जाती है.

3. किस पर लागू?

इस नीति के दायरे में सभी प्रबंधक, वरिष्ठ विभागीय अध्यक्ष और समस्त विभागों के समकक्ष कर्मचारी आते हैं. यानी कर्मचारी अपने ठोस प्रमाण के साथ किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा किए जा रहे अनुचित कार्यों का खुलासा कर सकते हैं. यह नीति कंपनी के सभी नियमित और अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होगी.

4. अनैतिक और अनुचित व्यवहार

(1) ऐसी गतिविधि जो संस्थान की सामाजिक प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव डालती हो.

(2) ऐसी गतिविधि जो संस्थान को आर्थिक क्षति पहुंचाती हो अथवा वित्तीय गड़बड़ी से जुड़ी हो.

(3) ऐसा व्यवहार जो किसी भी तरह से सहज न हो और जिससे यह साबित हो कि वह बदले की भावना से की गई कार्रवाई है.

(4) ऐसा व्यवहार जो कंपनी के नियमों को जानबूझकर नजरअंदाज करता हो.

(5) गुप्त रूप से की जा रही ऐसी गतिविधि जो कंपनी के संज्ञान में लाया जाना जरूरी है.

(6)अपने हित के लिए किया गया ऐसा व्यवहार जिससे कर्मचारियों में अविश्वास उत्पन्न हो.

5. नीति के तहत कौन-कौन से मामले?

इस नीति के तहत व्हिसल ब्लोअर निम्न मामलों को उजागर कर सकता है. इसमें वे मामले भी हैं जो पूर्व में हुए हैं या फिर ऐसे मामले जिसके होने की आशंका हो.

(1) अधिकारी से दुर्व्यवहार.

(2) अनुबंध का उल्लंघन.

(3) ऐसी लापरवाही जिससे कि लोगों की सेहत और सुरक्षा को खतरा हो.

(4) कंपनी के डाटा/रिकॉर्ड से छेड़छाड़.

(5) जालसाजी, अथवा संदिग्ध जालसाजी, वित्तीय अनियमितता.

(6) आपराधिक जुर्म.

(7) संपत्ति की चोरी अथवा गोपनीय सूचना को सार्वजनिक करना.

(8) जानबूझकर नियम/कानून का उल्लंघन.

(9) कंपनी की राशि/संपत्ति का अपव्यय /गबन.

(10) कर्मचारी नियम संहिता का उल्लंघन.

(11) किसी भी तरह का अनैतिक, पक्षपातपूर्ण व्यवहार.

(12) योग्य कर्मचारियों की अनदेखी करके किसी कर्मचारी विशेष को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाने का प्रयास.

6. नीति की सीमाएं/ दायरा

नीति के कार्यक्षेत्र में निम्न बातें नहीं होगी.

(1) नीति को कंपनी की शिकायत निवारण गतिविधि की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है अथवा इसका उपयोग किसी सहकर्मी के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण या निराधार आरोपों के लिए नहीं हो सकता.

(2) नीति के तहत वास्तविक 'व्हिसल ब्लोअर्स' को किसी भी तरह के अन्यायपूर्ण व्यवहार से पूरी सुरक्षा दी जाएगी. लेकिन इस सुरक्षा का गैरवाजिब लाभ उठाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

(3) इस नीति के तहत दी जाने वाली सुरक्षा का यह मतलब नहीं है कि 'व्हिसल ब्लोअर' बदनाम करने की नीयत से जानबूझकर किसी के खिलाफ झूठे अथवा गलत आरोप लगाए.

(4) यदि व्हिसल ब्लोअर अनुशासनात्मक कार्रवाई से छूट पाने या किसी गुप्त स्वार्थ को सिद्ध करने, अथवा संस्थान का सामान्य कामकाज जैसे कि तबादला आदि बाधित करने के लिए आरोप लगाता है तो इस नीति के तहत शिकायतकर्ता सुरक्षा का पात्र नहीं होगा.

(5) 'व्हिसल ब्लोअर' का खुलासा यदि गलत कारण के लिए अथवा दुर्भावनापूर्ण पाया जाता है तो उसे कंपनी की आचार संहिता के तहत उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

7. लेखा परीक्षण समिति की रचना

लेखा परीक्षण समिति में कंपनी के संचालक, वरिष्ट प्रबंधक और एच.आर. विभागके प्रमुख रहेंगे. नियमों के उल्लंघन की शिकायत मिलने के बाद प्रकरण के बारे में फैसला करने के लिए जरूरत पड़ने पर तत्काल अथवा तिमाही में एक बार टीम की बैठक हो सकती है.

8. जांच की प्रक्रिया

(1) किसी भी कर्मचारी को यदि किसी तरह का भी अनैतिक, अनुचित अथवा कथित रूप से गलत कार्य नजर आता है तो वह इस संबंध में जितना जल्दी हो सके 'व्हिसल ब्लोअर' लेखा परीक्षण समिति के सामने खुलासा करे.

(2) उक्त जानकारी के बारे में पता चलने के लगातार 15 कैलेंडर दिन के बाद वह इस बारे में खुलासा नहीं कर सकता. यदि विलंब का कोई मुनासिब कारण बताया जाए अथवा अन्य कोई अनिवार्यता हो जो कि पर्याप्त रूप से छूट के लिए संतोषजनक हो तो समिति अपने विवेक के आधार पर उसमें छूट दे सकती है.

(3) समिति सभी 'व्हिसल ब्लोअर' रिपोर्ट पर समुचित तरीके से तीन माह के भीतर जांच करेगी.

(4) जरूरत पड़ने पर प्रकरण की जांच के लिए वरिष्ठ प्रबंधक अथवा प्रबंधकीय कार्मिक की एक समिति नियुक्त की जाएगी और इसके लिए कार्य क्षेत्र और समय-सीमा निर्धारित की जाएगी.

(5) समिति को जांच के लिए विस्तृत रूपरेखा प्रक्रिया बनाने का अधिकार होगा.

(6) जांच के दौरान लेखा परीक्षण समिति अथवा अधिकारी अथवा प्रबंधकीय कार्मिक समिति को जरूरत पड़ने पर किसी भी जानकारी, दस्तावेज के परीक्षण अथवा कंपनी के कर्मचारी या अन्य किसी भी व्यक्ति से पूछताछ का अधिकार होगा.

9. ऐसे होगी कार्रवाई

जांच पूरी होने के बाद एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और लेखा परीक्षण समिति कथित अनियमितता का कारण निर्धारित करेगी और इसे दूर करने के लिए आदेश देगी जिसमें मुख्य रूप से निम्न बातें शामिल हैंः

(1) इस नीति के उल्लंघन को रोकने के लिए आज्ञापत्र जारी करना.

(2) कर्मचारी की उसी पद पर अथवा समकक्ष पद पर पुनर्नियुक्ति करना.

(3) गंवाए हुए वेतन के भुगतान का आदेश, हर्जाना अथवा अन्य सुविधा.

(4) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त मालूम होने पर कोई अन्य राहत.

यदि लेखा परीक्षण समिति इस बात पर सहमत हो जाती है कि कथित अनैतिक और अनुचित कार्य हुआ है अथवा हो रहा है तब,

(1) लेखा परीक्षण समिति संबंधित दोषी को फटकार लगाए जाने, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने एवं जुर्माना आदि लगाने के बारे में बोर्ड को सिफारिश कर सकती है.

(2) लेखा परीक्षण समिति अनैतिक, अनुचित अथवा गलत व्यवहार के कारण दूषित किसी भी तरह के कॉन्ट्रेक्ट, व्यवस्था अथवा कार्य सम्पादन को समाप्त करने की सिफारिश भी कर सकती है.

लेखा परीक्षण समिति का फैसला अंतिम और बाध्यकारी होगा.

10. अधिसूचना

सभी यूनिट /विभाग प्रमुख अपने अधीन कर्मचारियों को इस नीति के संबंध में और इसकी विषय सूची के बारे में अधिसूचित करें और उन्हें बताएं. इस बारे में जानकारी हमारे मानव संसाधन (एचआर) के सॉ■टवेयर के डैशबोर्ड में भी अपलोड की जाए. समय-समय पर संशोधित इस नीति को सभी के लिए उपलब्ध कराया जाए.

11. नियमित आश्वासन

कंपनी को हर वर्ष इस बात की अनिवार्य रूप से पुष्टि करनी होगी कि वे 'व्हिसल ब्लोअर लेखा समिति' द्वारा कर्मचारियों से सतत संपर्क में रहेगी एवं उनके हर सही खुलासे पर उचित कार्रवाई करेगी. कंपनी इस बात का भी आश्वासन दोहराएगी कि वह 'व्हिसल ब्लोअर' को उचित सुरक्षा प्रदान करेगी. यह आश्वासन कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट का हिस्सा होगा.

12. आर्थिक पुरस्कार

'व्हिसल ब्लोअर्स' आर्थिक पुरस्कार के लिए भी पात्र होंगे. पुरस्कार का फैसला डब्ल्यूबीएसी (व्हिसल ब्लोअर ऑडिट कमेटी) अपने विवेक से करेगी और उसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा.

- - - - -

Email ID : whistleblower@lokmat.com

- - - - -

Note : Appropriate changes / additions & deletions will be made in the above policy as and when required in future.